

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 29/2025(GCMS 2025/195)

(RTI No.: 212075264465632)

श्री पवन पारीक नजदीक महामाया मिष्ठान भंडार, बिग्गा रोड, बर्ड नं. 07, श्रीडूंगरगढ, बीकानेर राजस्थान (मोबाईल नम्बर : 86190-93867)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ



02.12.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी पवन पारीक स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी पवन पारीक ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.02.2025 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसे लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी पवन पारीक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र 11.02.2025 से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. मेरे पिताजी ने 1 यूडीएम (14 एपीडी - कमरानियां) गांव में आवासीय भूखण्ड 60 गुणा 90 के लिए किश्तें भरी थी लेकिन आज तक हमें आवासीय भूखंड अलॉटमेंट नहीं हुआ है इसलिए संलग्न रसीदों का रिकॉर्ड मुझे भिजवाएं
2. मेरे मोबाईल नम्बर 86190-93867 है जो मेरे पिताजी ने किश्तें भरी थी, उनकी ओरिजनल रसीदें मेरे पास है, उनकी संलग्न कॉपी इसी में अपलोड है, हमें भूखण्ड अलॉट करवाने में हैल्प करें।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/25/1168 दिनांक 21.05.2025, 3174 दिनांक 17.10.2025 (स्मरण पत्र) एवं 3938 दिनांक 29.11.2025(स्मरण पत्र-2) से रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखे जाने के पश्चात भी उनके द्वारा अपील का कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं



Mans
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

की गई है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उप-धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नहीं?, ज्ञात नहीं होता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। आप द्वारा अपील का कोई जवाब न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 07 दिवस में, पंजीकृत पत्र द्वारा वांछित सूचना, जो आपके कार्यालय में रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, अधिप्रमाणित, हस्ताक्षरित कर, अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित किया जावे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तुरन्त तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर